''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2007—चैत्र 9, शक 1929

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 18-44/20/2007.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ बी. एड. प्रवेश नियम 2006 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम 2 के उप नियम (च) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाय :—

"(छ) 'गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय' से अभिप्रेत है कि ऐसे महाविद्यालय जो छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रमाणित हो तथा महाविद्यालय के न्यूनतम 50 प्रतिशत सीट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित करते हों."

2. नियम 3 के उप नियम (क) के मुख्य शीर्ष प्री बी. एड. परीक्षा के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष स्थापित किये जायें :—

"प्री बी. एड. परीक्षा सामान्यतया"

3. नियम 5 के उप नियम (ग) के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाये :—

"उपरोक्त आरक्षण नियम "गैर अनुदान अल्पसंख्यक महाविद्यालयों" एवं "गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों" में लागू नहीं होंगे."

Raipur, the 29th March 2007

NOTIFICATION

No. F 18-44/20/2007.—State Government hereby makes the following amendment in Chhattisgarh B. Ed. Pravesh Rule, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules-

1. After sub-rule (f) of Rule-2, the following sub-rule shall be inserted :-

"(g) 'Unaided minority college' means a college which is certified by the Chhattisgarh State Minority Commission and reserves minimum 50 percent seats for religious minority community."

2. For Head "Pre B. Ed. Examination" of sub-rule (a) of rule-3 the following Head shall be substituted :-

"Pre B. Ed. Examination Generally"

3. For sub-rule (c) of rule-5, the following sub-rule shall be substituted:-

"Above said reservation rules shall not be applicable in "unaided minority college" and "unaided private college."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.